संख्या-17/2016-सा-3-483/दस-2016-308(04)/2005

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊः दिनॉक : 20 जून, 2016

विषयः- वेतन समिति (1997-1999)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के अनुरूप पेंशन निदेशालय के सहायक लेखाकारों को उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान/ सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड-पे की स्वीकृति।

महोदय,

आपके पत्रांक-पे0नि0/अधि/03/2015-16/5200, दिनाँक 21-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 21 नवम्बर, 2008 से पेंशन निदेशालय में उपलब्ध पदों के आधार पर निदेशालय में सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों में 20:80 का अनुपात निर्धारित होने के फलस्वरूप वेतन समिति (1997-1999) /मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय दिनांक 24-09-2001/14-01-2005 के आधार पर सहायक लेखाकार के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू0 4000-6000 (सादृश्य वेतनबैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400) के स्थान पर दिनाँक 21-11-2008 से उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान रू0 4500-7000 का सादृश्य वेतनबैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-438/दस-2016, दिनाँक 04-06-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-17/2016-सा-3-483(1)/दस-2016-308(04)/2005 , तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
4- वित्त(वेतन-आयोग)अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।